राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	708/2018 लक्ष्मीनारायण बनाम नारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 22/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
22/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट चतरपुरा में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 827/401 रकबा 1.63 व खसरा नम्बर 424 रकबा 4 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 5.63 वाके ग्राम आछोजाई तह. आमेर जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये मौखिक विभाजन को ध्यान में रखते हुये आने-जाने हेतु रास्ते का प्रावधान करते हुये तथा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियां एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	